

“बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई. दिनांक 30-05-2001.”



पंजीयन क्रमांक
“छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015.”

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 170]

रायपुर, बुधवार, दिनांक 18 मार्च 2020 — फाल्गुन 28, शक 1941

राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर

अटल नगर, दिनांक 18 मार्च 2020

अधिसूचना

क्रमांक एफ-1-118/राजस्व/राहत/2007. — आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 (क्र. 53 सन् 2005) की धारा 14 सहपठित धारा 78 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए तथा इस विभाग की अधिसूचना क्र. एफ 1-118/राजस्व/राहत/2007, दिनांक 05 दिसम्बर, 2014 को अतिष्ठित करते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा, छत्तीसगढ़ राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का निम्नानुसार गठन करती है :-

- | | | |
|------|--|-----------------|
| (1) | मुख्य मंत्री, छत्तीसगढ़ शासन | पदेन अध्यक्ष |
| (2) | मंत्री, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग छत्तीसगढ़ शासन | पदेन उपाध्यक्ष |
| (3) | श्रीमती ज्योत्सना चरणदास महंत, संसद सदस्य
कोरबा निर्वाचन क्षेत्र | सदस्य |
| (4) | श्री मोहित राम केरकेट्टा, विधायक,
पाली-तानाखार निर्वाचन क्षेत्र | सदस्य |
| (5) | श्री प्राणनाथ मिश्रा, म.नं. -477
सेक्टर-3 बी टाईप, बालको नगर, जिला-कोरबा, छत्तीसगढ़ | सदस्य |
| (6) | श्री नवीन कुमार, म.नं. 1ए,
सेक्टर-10, भिलाई नगर, जिला-दुर्ग, छत्तीसगढ़ | सदस्य |
| (7) | मुख्य सचिव, छत्तीसगढ़ शासन | पदेन सदस्य |
| (8) | अपर मुख्य सचिव, छत्तीसगढ़ शासन,
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग | सदस्य |
| (9) | अपर मुख्य सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, गृह विभाग | सदस्य |
| (10) | राहत आयुक्त, छत्तीसगढ़ शासन | पदेन सदस्य सचिव |

प्राधिकरण को ऐसी शक्तियां प्राप्त होगी तथा वह ऐसे कृत्यों का निष्पादन करेगा, जैसा कि उक्त अधिनियम के अधीन उसे दिये गये हो।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
रीता शांडिल्य, सचिव.

Atal Nagar, the 18th March 2020

NOTIFICATION

No. F-1-118/Revenue/Relief/2007. — In exercise of the powers conferred by Section 14 read with Section 78 of the Disaster Management Act, 2005 (No. 53 of 2005) and in supersession of this Department's Notification No. F 1-118/Revenue/Relief/2007, dated 5th December, 2014, the State Government, hereby, constitutes the Chhattisgarh State Disaster Management Authority, as follows :-

- | | | |
|------|--|-------------------------------|
| (1) | Chief Minister, Government of Chhattisgarh | Ex-Officio Chairperson |
| (2) | Minister of Revenue & Disaster Management Department, Government of Chhattisgarh | Ex-Officio Deputy Chairperson |
| (3) | Smt. Jyotsna Charandas Mahant, Member of Parliament, Korba Constituency | Member |
| (4) | Mr. Mohit Ram Kerketta, MLA, Pali-Tanakhar, Constituency | Member |
| (5) | Mr. Pran Nath Mishra, H.No. – 477, Sector-3, B Type, Balco Nagar District-Korba Chhattisgarh | Member |
| (6) | Mr. Naveen Kumar, H.No. - 1A Sector-10, Bhilai Nagar, District-Durg Chhattisgarh | Member |
| (7) | Chief Secretary, Government of Chhattisgarh | Ex-Officio Member |
| (8) | Additional Chief Secretary, Government of Chhattisgarh, Panchayat and Rural Development Department | Member |
| (9) | Additional Chief Secretary, Government of Chhattisgarh, Home Department | Member |
| (10) | Relief Commissioner, Government of Chhattisgarh | Ex-Officio Member-Secretary |

The Authority shall have such powers and shall perform such function as are given to it under the said Act.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
REETA SHANDILYA, Secretary.